3. पूर्व में पंजीकृत चिकित्सक अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मूल आवेदन ५ प्रथम बार पंजीकरण अंकित किया गया था, को पंजीकृत डाक से एक सेल्फ पते के लिफाफे के साथ सक्षम अधिकारी को भेजकर भी नवीनीकरण करा सकेंगे। चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार से प्राप्त नवीनीकरण के आवेदन क. नवीनीकृत कर, आवेदक को अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराये गये उनके पंजीकृत सेल्फ पते के लिफाफे में डाक द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. पंजीकरण का समस्त कार्य निःशुल्क किया जायेगा तथा पंजीकरण की शेष व्यवस्था मा0 उच्च न्यायालय व पूर्व में निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों के अनुरूप होगी।

भवदीय,

(डी0सी0 सक्सेना)
निदेशक, चिकित्सा उपचार

संख्या:- 11फ / शिविर / 2007–08 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल .....
4. डा0 सी0वी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, एसोसिएशन आफ प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर, सी0–146, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 20 मार्च 2007 के क्रम में सूचनार्थ।

(डी0सी0 सक्सेना)
निदेशक, चिकित्सा उपचार

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:– 11फ/शिविर/2007–08/523 लखनऊ, दिनांक : 20 अप्रैल, 200

विषय:–अवमाननावाद रिट पिटीशन संख्या–820/02 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम ए0पी0 सिंह अन्य में समय–समय पर जारी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन पंजीकरण/नवीनीकरण के संबंध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत रिट पिटीशन में मा0 उ न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में आप द्वारा नि चिकित्सकों/नर्सिंग होम/डायग्नोस्टिक सेन्टरों/पैथालोजी व अन्य का पंजीकरण तथा नवीनीक का कार्य किया जा रहा है।

एसोसिएशन आफ प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.03.2007, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 को सम्बोधित है, में उठाये गये बिन्दुओं को सं में लेते हुए आपको निजी चिकित्सकों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार निर्देशित कि जाता है जिसका अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

1. नवीन पंजीकरण पूर्ववत् स्वीकृत प्रकिया के अधीन होंगे जिसमें आवेदक चिकित्सक जो व्यवसाय प्रारम्भ कर रहा है, मूल प्रमाण पत्र फोटोयुक्त आवेदन पत्र तथा प्रमाणित छायाप्र आदि सहित मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्वयं भौतिक रूप से पंजीकरण के उपस्थित होगा।
2. यदि किसी चिकित्सक के अधिष्ठान में समय, सुविधाओं अथवा मानव संसाधन के संबं किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, जो पूर्व पंजीकरण के समय दिये गये विवरण भिन्न हैं, की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी को देनी अनिवार्य होगी ताकि स अभिलेखों में तदनुसार संशोधन किया जा सके।

D:CS/Desktop/SVHM